

सूचना अधिकार अधिनियम –2005 के  
अध्याय-2 की धारा – 4(1) ख 8

मैनुअल संख्या –8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण  
जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस  
बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि  
क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें  
जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक  
जनता की पहुँच होगी।

# कारपोरेशन की व्यवस्था

## निदेशक मण्डल:-

निदेशक मण्डल की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं लेकिन एक तिमाही में एक बैठक होना आवश्यक होता है। कारपोरेशन की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था प्रबन्ध निदेशक के द्वारा देखी जाती है, जोकि निदेशक मण्डल के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं अधीक्षण में कार्य करते हैं। प्रबन्ध निदेशक को कारपोरेशन के तीन पूर्ण कालिक निदेशक एवं अन्य अधिकारी सहयोग करते हैं। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल में निम्न निदेशक सम्मिलित हैं:-

1. श्री आनन्द बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. डॉ० आर० मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. श्री दिलीप आर० जावलकर, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. श्री पी० सी० ध्यानी, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
5. श्री बी०पी० पाण्डे, बी-4/42 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, यू०पी०।
6. श्री पराग गुप्ता, साकेत लेन 1, म०सं० 13, 76/1, राजपुर रोड, देहरादून।
7. श्री पी० सी० ध्यानी, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
8. श्री एम० आर० आर्या, निदेशक(डिस्ट्रिब्यूशन एण्ड प्रोजेक्ट), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
9. निदेशक(वित्त), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

## सम्प्रेक्षा समिति:-

कारपोरेशन के उत्तम वित्तीय अनुशासन के लिए कारपोरेट स्तर पर एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया गया है, समिति में चार सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक तथा 1 सदस्य नामित निदेशक हैं। वर्तमान में सम्प्रेक्षा समिति में निम्न सदस्य हैं:-

1. श्री बी०पी० पाण्डे, बी-4/42 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, यू०पी०।
2. श्री पराग गुप्ता, साकेत लेन 1, म०सं० 13, 76/1, राजपुर रोड, देहरादून।
3. श्री दिलीप आर० जावलकर, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. श्री पी० सी० ध्यानी, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

निदेशक मण्डल द्वारा यदि कोई प्रकरण उद्घृत किया गया हो तो सम्प्रेक्षा समिति को इसकी पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार है। समिति को पूर्ण विकल्प प्राप्त है कि वह कारपोरेशन के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करे और इस हेतु यदि आवश्यकता पड़े तो वाह्य व्यावसायिक सलाह भी प्राप्त कर सकती है। समिति समय-समय पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर सम्प्रेक्षकों से संवाद स्थापित कर सकती है, सम्प्रेक्षण का उद्देश्य वित्तीय विवरण को निदेशक मण्डल में जाने से पूर्व पुर्नवालोचन होता है।

## सामाजिक दायित्व समिति:-

कम्पनी अधिनियम की धारा 135 (3)(अ) के अनुसार जिस कम्पनी का कुल मूल्य रु0 500 करोड़ या वार्षिक कारोबार रु0 1000 करोड़ या अधिक या किसी भी वित्तीय वर्ष में रु0 5 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया गया है ऐसी कम्पनियों द्वारा सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया जायेगा।

उपरोक्त के अनुक्रम में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 71वीं बैठक दिनांक 23.07.2015 में सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया।

1. स्वतन्त्र निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
2. श्री पी0 सी0 ध्यानी, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
3. डॉ आर0जे0 मलिक, अधिशासी निदेशक(मा0सं0) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।

उपरोक्त सामाजिक दायित्व समिति हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 74वीं बैठक में सामाजिक दायित्व समिति नीति का निर्धारण किया गया है जोकि **संलग्न** है।

## कारपोरेशन के अंशधारक:-

कारपोरेशन के अंशधारक निदेशक मण्डल से उच्च अधिकारिक होते हैं क्योंकि अंशधारकों का धन कारपोरेशन में निवेशित होता है, क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम है इसलिए शतप्रतिशत अंश उत्तराखण्ड सरकार के पास है।

## कारपोरेशन के वर्तमान अंशधारक निम्न प्रकार हैं:-

1. माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री आनन्द बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. श्री लालरिन लियाना फ़ैर्नई, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
5. डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव (नियोजन), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
6. श्री विनय शंकर पाण्डे, सचिव(उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
7. श्री दिलीप जावलकर, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
8. श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
9. श्री गंगा प्रसाद, अपर सचिव(वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
10. श्री पी0 सी0 ध्यानी, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
11. श्री अजय कुमार सिंह, प्रबन्ध निदेशक, यूजेविएन लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
12. श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
13. श्री अतुल कुमार सिंह, अनु सचिव, (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।

कम्पनी की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली के लिए निदेशक जवाबदेह होते हैं जबकि अंशधारकों की संगठन में उच्च पदस्थिति होती है वे कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राविधानों के तहत निदेशकों पर नियन्त्रण रखते हैं।

क्या निदेशक मण्डल, परिषद, समिति एवं अन्य निकाय लोकार्थ हैं ? या इनकी बैठकों के निर्णय बिन्दु लोकार्थ के लिए सुगम है।

निदेशक मण्डल की बैठकों में कारपोरेशन की सभी नीतिगत प्रकरणों पर चर्चा होती है, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति आम लोगों के लिए खुली नहीं होती।

जहां तक सम्प्रेक्षण समिति एवं अंशधारकों की बैठकों का सम्बन्ध है, इन बैठकों में अन्य लोग भागीदारी नहीं कर सकते। सम्प्रेक्षा समिति तथा अंशधारकों की बैठकों में लिए गये निर्णय आम लोगों को नहीं बताये जाते, लेकिन फिर भी कम्पनी अधिनियम में निहित यथोचित निषेध प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक दिन कम से कम दो घन्टें अंशधारकों के निर्णय बिन्दु कार्य समय के दौरान केवल अंशधारकों (सदस्यों) के निरीक्षण के लिए शुल्क जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है।